हिन्दूस्तान यूनीलिवर लिमिटेड

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 252/2016)

12 अप्रैल, 2016

[दीपक मिश्रा और शिवा कीर्ति सिंह, जे. जे.]

खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम,1954 एस एस 16 और 13 (2)- अभियोजन यू/एस 16 आर/डब्ल्यू आर. 50 (1) खाद्य मिलावट निवारण नियम, 1955-6 आरोपीों में से एक आरोपी ने अपने अधिकार का प्रयोग किया।13 (2) - दूसरे और तीसरे नमूने केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला (जे. सी. एफ. एल.) को पुनः विश्लेषण के लिए दिए जाने का निर्देश-अपीलार्थी-अभियुक्त यू/एस 482.द्वारा याचिका दं.प्र.सं.. कार्यवाही को रद्द करने के लिए-अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया, अभिनिर्धारित किया गयाः ऐसे मामले में जहां कई आरोपी हैं, एक बार अधिकार का प्रयोग किया जाता है तो बुराई होती है।13(2) सी. एफ. एल. के निदेशक से प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले किसी भी आरोपी द्वारा, ऐसी रिपोर्ट सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट का स्थान लेगी-इस तरह का अधिनिर्णय सभी आरोपीों के लाभ के लिए सुनिश्चित होगा, न कि केवल उन आरोपीों के लिए जिन्होंने सी. एफ. एल. के निदेशक के अधिकार का प्रयोग किया था। 13(2)- आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है- दंड प्रक्रिया संहिता,1973 -s.482-खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम,1955 -आर.50(1)

न्यायालय द्वारा अपील की अनुमति देते हुए, अभिनिर्धारित किया गया :

वर्तमान जैसे मामले में, जहां कई आरोपी हैं,खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम,1954 की धारा 13 (2) के तहत किसी भी आरोपी द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग किया जाता है, जिससे सी. एफ. एल. के निदेशक से प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, यह धारा 13 की उप-धारा (1) के तहत सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा पहले दी गई रिपोर्ट का अधिक्रमण होगा और इस तरह के अधिक्रमण से सभी सह-आरोपीं को लाभ होगा, न कि अकेले उन आरोपीं को जिन्होंने पी.एफ.ए.अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग किया था। जिन मामलों में आरोपीं की संख्या एक से अधिक है, वहां सी. एफ. एल. द्वारा पुनः विश्लेषण के लिए अलग-अलग नमूने भेजने के लिए सभी सह-आरोपीं के व्यक्तिगत अनुरोध का पालन करने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि क़ानून में केवल 3 नमूने तैयार करने की आवश्यकता होती है।[पारस 5 और 6] [403-जी; 404-ए, एच; 405-ए]

गिरीशभाई दहियाभाई शाह बनाम सी. सी. जानी और अन्य। (2009) 15 एससीसी 64:2009 (12) एस. सी. आर. 229-निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

2009 (12) एस. सी. आर. 229 निर्भर पैरा 7

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : दाण्डिक अपीलीय सं 252/2016

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर की एस.बी.आपराधिक विविध याचिका संख्या 444/2008 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 12.01.2015 से।

सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, अजय अग्रवाल, सतीश सोलंकी, सिद्धार्थ बंथिया, सुश्री रुचिका, राजन नारायण, अधिवक्ता।, अपीलकर्ता के लिए उसके साथ।

एस. एस. शमशेरी, ए. एएजी अमित शर्मा, एल. एस. यू. प्रयास, सुश्री एस. स्पंदना रेड्डी, अधिवक्ता।, प्रत्यर्थीगण के लिए उसके साथ।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति शिवा कीर्ति सिंह, द्वारा पारित किया गया :-

1. दिनांक 1 की चुनौती के तहत विवादित आदेश द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर, जयपुर की फाइल पर लंबित खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम,1954 (पी.एफ.ए.ए.) की धारा 16 के तहत सी. सी. संख्या 2776 /2000 वाले आपराधिक मामले को रद्द करने के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को अस्वीकार करने का फैसला किया। परिणामस्वरूप, 2008 की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक विविध याचिका No. 444 वाले अपीलार्थी के आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

2. जयपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में खाद्य निरीक्षक द्वारा दायर शिकायत याचिका के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलकर्ता को पांच अन्य लोगों के साथ आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आरोपों के अनुसार, केसर पिस्ता आइसक्रीम का एक नमूना खाद्य निरीक्षक द्वारा 05.04.1999 पर अपीलार्थी के उत्पाद के एक विक्रेता से लिया गया था।आवश्यक कदम उठाने के बाद तीन खाली बोतलों में नमूने तैयार किए गए जिनमें प्रत्येक बोतल में आवश्यक मात्रा में फॉर्मेलिन भी मिलाया गया। पी. एफ. ए. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक नमूना सार्वजनिक विश्लेषक को विश्लेषण के लिए भेजा गया था। सार्वजनिक विश्लेषक दिनांक 19.04.1999 की रिपोर्ट के अनुसार नमूने में मिलावट पाई गई क्योंकि यह निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं था। फरियादी के अनुसार कानून के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाए गए थे और 23. पी. एफ. ए. अधिनियम की धारा 16 और उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए खाद्य मिलावट रोकथाम नियम, 1955 के नियम 50 (1) के तहत अपीलकर्ता सहित सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। एक सह-आरोपी ने पी. एफ. ए. ए. की धारा 13 (2) के तहत अपने अधिकार

का प्रयोग किया और उसके आवेदन पर जिसे दिनांकित 03.01.2001 कहा गया, विद्वान मजिस्ट्रेट ने 05.02.2004 पर स्वर्गीय से आदेश द्वारा दूसरे नमूने को पुनः विश्लेषण के लिए भेजने का अंतिम निर्णय लिया।केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला (सी. एफ. एल.) ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 06.07.2004 इस प्रभाव पर दी कि "प्राप्त नमूना बिगड़ गया था और विश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं था।"सितंबर 2004 में विद्वान मजिस्ट्रेट ने अभियोजन पक्ष को तीसरा नमूना पेश करने का निर्देश दिया। नवंबर 2007 में इस तरह के निर्देश को दोहराया गया था। मार्च 2008 में अपीलकर्ता ने रद्द करने की याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन इसे अंततः दिनांक 12.01.2015 के विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

3. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा ने हमारे समक्ष पी. एफ. ए. अधिनियम की धारा 13 (. 2) के प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अभियुक्त को एक मूल्यवान अधिकार प्रदान किया गया है कि यदि वह या वे ऐसा चाहते हैं, तो उनमें से कोई भी सी. एफ. एल. द्वारा विश्लेषण किए गए खाद्य पदार्थ का एक और नमूना प्राप्त करने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि धारा 13 की उप-धारा (3) के तहत उप-धारा (2 बी) के संदर्भ में सी. एफ. एल. के निदेशक द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारा 13 की उप-धारा (1) के तहत सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट का स्थान लेता है।

4. उच्च न्यायालय के विवादित आदेश से पता चलता है कि सभी प्रासंगिक वाद प्रश्न के साथ-साथ मामले के कानूनों को रखा गया और उन पर विचार किया गया और फिर अपीलकर्ता की प्रार्थना को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि हालांकि विश्लेषण के लिए भेजा गया दूसरा नमूना खराब मिला गया था, तीसरा नमूना वर्ष 2007 तक अदालत को उपलब्ध नहीं कराया गया था और सह-अभियुक्त के रूप में

अपीलकर्ता ने पी. एफ. ए. अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया था।

5. पक्षकारों को सुनने में हम अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रस्तुत प्रस्तुतियों के साथ पूरी तरह से सहमत पाते हैं कि वर्तमान की तरह जहां कई आरोपी हैं, एक बार पी. एफ. ए. अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत किसी भी आरोपी द्वारा सी. एफ. एल. के निदेशक से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अधिकार का प्रयोग किया जाता है, तो परिणाम धारा 13 की उप-धारा (I) के तहत सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा पहले दी गई रिपोर्ट का अधिक्रमण होगा और इस तरह के अधिक्रमण से सभी सह-आरोपीों को लाभ होना चाहिए।राजस्थान राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री एस. एस. शमशेरी द्वारा प्रत्यर्थीगण की ओर से यह निवेदन कि इस तरह का अतिक्रमण केवल उन आरोपीों के लाभ के लिए होगा जिन्होंने पी. एफ. ए. अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत अपने अधिकार का प्रयोग किया है, स्वीकृति के योग्य नहीं है।उपरोक्त दृष्टिकोण का पहला और प्रमुख कारण धारा 13 की उप-धारा (2) और (3) के सरल और सरल शब्द हैं। सुविधा के लिए धारा 13 की उप-धारा (I), (2) और (3) नीचे दी गई हैंः

> "13. सार्वजनिक विश्लेषक की रिपोर्ट- (I) सार्वजनिक विश्लेषक, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण को विश्लेषण के लिए निवेदन की गई किसी भी खाद्य वस्तु के विश्लेषण के परिणाम की एक रिपोर्ट, जो निर्धारित किया जाए, प्रदान करेगा। (2) उप-धारा (1) के तहत विश्लेषण के परिणाम की इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि खाद्य पदार्थ में मिलावट की गई है, स्थानीय (स्वास्थ्य) प्राधिकरण, उन व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन की स्थापना के बाद, जिनसे खाद्य पदार्थ का नमूना लिया गया था और वह व्यक्ति, यदि कोई हो, जिसका नाम, पता और अन्य विवरण धारा 14 ए के तहत प्रकट

किए गए हैं, विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट की एक प्रति, जैसा भी मामला हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को अग्रेषित करेगा, ताकि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को सूचित किया जा सके कि यदि ऐसा वांछित है तो दोनों में से कोई एक या दोनों रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर अदालत में आवेदन कर सकते हैं।

(2 ए) .....

(2 बी) .....

(2 सी) .....

(20 डी) .....

(2 ई) .....

(3) उप-धारा (28) के तहत केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, उप-धारा (I) के तहत सार्वजनिक विश्लेषक द्वारा दी गई रिपोर्ट का स्थान लेगा।

(4) ..... .

(5) ....." (जोर दिया गया)

6. उपरोक्त दृष्टिकोण इस तथ्य से भी प्रमाणित होता है कि मौजूदा स्थिति में सी. एफ. एल. द्वारा तीसरे नमूने को भी खराब घोषित करना समय की बर्बादी और एक खाली औपचारिकता होगी। वर्तमान जैसे मामले भी हो सकते हैं जहां आरोपीों की संख्या तीन से अधिक है।ऐसे मामलों में सी. एफ. एल. द्वारा पुनः विश्लेषण के लिए अलग-अलग नमूने भेजने के लिए सभी सह-अभियुक्तों की व्यक्तिगत प्रार्थना का पालन

करने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि अधिनियम में केवल 3 नमूने तैयार करने की आवश्यकता होती है।

7.उपरोक्त कारणों से हमारी यह सुविचारित राय है कि इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत और कानून के विपरीत था।इस मामले में हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को गिरीशभाई दहियाभाई शाह बनाम सी. सी. जानी और अन्य(2009)15 scc 64 के मामले में इस अदालत के निर्णय से समर्थन मिलता है। हालांकि एक अलग तथ्यात्मक मैट्रिक्स में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।अगली कड़ी के रूप में, आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए उच्च अदालत के समक्ष अपीलकर्ता की प्रार्थना की अनुमति है।इस प्रकार दाण्डिक अपीलीय की भी अनुमति है।

कल्पना के. त्रिपाठी। अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही पामाणिक माना होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।